• उ0 प्र0 भारत स्काउट और गाइड

डा0 प्रभात कुमार, आई०ए०एस०
मुख्य आयुक्त, उ०प्र०
कृषि उत्पादन आयुक्त एवं
अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र०

पत्रांक : MG-201/165/2019-20
दिनाँक : 25/04/2019

सेवा में,

कुलपति
समस्त विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश।

विषयः– विश्वविद्यालयों में रोवर/रेंजर कार्यक्रम को अनिवार्य रूप से लागू किए जाने के संबंध में ।

महोदय,

उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड एसोसिएशन सोसाइटीज पंजीककरण अधिनियम 1850 के अन्तर्गत पंजीकृत शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की सहयोगी संस्था है तथा यह गैर–राजनीतिक, वर्णभेद की भावना से रहित, असाम्प्रदायिक संगठन है।

आपको अवगत कराना है कि राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकता और युवा वर्ग की शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्काउटिंग तथा गाइडिंग भारत में ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व में एक सशक्त माध्यम माना जाता है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों में अनुशासन, सेवा–भाव, भाई चारा, संगठन एंव नेतृत्व की भावना विकसित होकर उन्हें उत्तम नागरिकता की ओर ले जाती है। आन्दोलन का उद्देश्य नवयुवक/नवयुवतियों के विकास में इस तरह योगदान करना है, जिससे उनकी पूर्ण शारीरिक, बौद्विक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक अन्तः शक्तियों की उपलब्धि हो, ताकि व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नागरिकों के रूप में तथा स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अर्न्तराष्ट्रीय समुदायों के रूप में उपयोगी सिद्व हो सके।

आपको अवगत कराते हुए हर्ष हो रहा है कि इस वर्ष रेंजरिंग के 100 वर्ष पूर्ण होने पर यह वर्ष शताब्दी वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जिसका शुभारम्भ उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा से जुलाई 2019 में किया जा रहा है। राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के निर्देशों के अनुपालन में रेंजर शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर का सम्पन्न होगा जिसमें पूरे देश से रेंजर्स प्रतिभांग करेंगी। उक्त कार्यक्रम में आपका सहयोग एंव सक्रियता की आंकाक्षा रहेगी।

उपरोक्त के संबंध में प्रादेशिक मुख्यालय के पत्रांक सी0जी0–105 ए/2218/2018–19 दिनांक 28.02.2019 द्वारा पूर्व में महाविद्यालयो में रोवर/रेंजर्स के दल की पात्रता आदि के विषय में विस्तृत रूप से जानकारी दी गयी है, जिसकी प्रति सुलभ संदर्भ हेतु पुनः संलग्न है।

रोवर क्रयू/रेंजर टीम के माध्यम से जहॉ एक ओर युवा वर्ग के भविष्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा वहीं शासन की विकास योजनाओं के प्रचार एंव प्रसार जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्यो में भी रोवर/रेंजर दलों को लगाया जा सकता है।

वर्तमान परिस्थितियों में भी युवा वर्ग को अधिकाधिक संख्या में स्काउटिंग/ गाइडिंग आन्दोलन से सम्बद्व करने की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बलवती होती जा रही है। अतः प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एंव उनसे सम्बद्व महाविद्यालयों में रोवर/रेंजर दलों को गठित करने की दिशा में सक्रिय कार्यवाही की सामयिक आवश्यकता है।

शासन द्वारा इस आशय के विभिन्न निर्देश भी समय समय पर निर्गत किए गए हैं इसके अनुरूप रोवरिंग/रेंजरिंग कार्यक्रम को विश्वविद्यालय/ महाविद्यालयों में प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है–

(1) समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में (जहाँ अभी तक रोवर क्रयू/रेंजर टीम का गठन नहीं हो पाया है) न्यूनतम एक रोवर क्रयू/रेंजर टीम का अनिवार्य रूप से गठन कर उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड से पंजीकृत कराया जाय।(सुविधा हेतु पंजीकरण फार्म की छाया प्रति संलग्न है)। साथ साथ जहाँ वे दल पूर्व से गठित है वहाँ उनकी संख्या में वृद्धि की जाय।

(2) प्रत्येक रोवर क्रयू के लिए एक पुरूष प्राध्यापक एंव रेंजर टीम के लिए एक महिला प्राध्यापिका को नामित किया जाये जो क्रमशः रोवर लीडर एंव रेंजर लीडर से सम्बोधित होंगे। नामित रोवर लीडर/रेंजर लीडर को प्रगतिशील प्रशिक्षण के अंतर्गत उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड द्वारा प्रारम्भ में बेसिक कोर्स का प्रशिक्षण दिया जायेगा।(प्रगतिशील प्रशिक्षण कार्यक्रम संलग्न है)

अतः अनुरोध है कि कृपया अपने विश्वविद्यालय और सम्बद्व महाविद्यालयो में रोवरिंग/रेंजरिंग के प्रति छात्र/छात्राओं को प्रेरित करने और अधिकाधिक दलों को पंजीकृत कराने की व्यवस्था कराने हेतु विश्वविद्यालय से सम्बद्व महाविद्यालयो में भी इस अभियान को पहुँचाने की आवश्यकता है। कृपया इस आशय के निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें। कार्यक्रम से जुडी सामग्री संलग्नक के रूप में आपको उपलब्ध करायी जा रहीं है। इस हेतु समय–समय पर उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड से जिस सहयोग की आवश्यकता होगी, वह आपको सुलभ होता रहेगा। किसी प्रकार की जिज्ञासा हेतु **0522–2332928** पर संपर्क किया जा सकता है।

संलग्नकः–उक्तवत्।

भवदीय,

(डा0 प्रभात कुमार)
मुख्य आयुक्त
उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– प्रमुख सचिव (उच्च शिक्षा) उ0प्र0शासन, लखनऊ
2– निदेशक (उच्च शिक्षा) उ0प्र0, उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज।
3– समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4– प्रादेशिक आयुक्त (स्काउट/गाइड/प्रशासन एंव प्रशिक्षण) उ0प्र0 भारत स्काउट/गाइड, लखनऊ।
5– प्रादेशिक सचिव, उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड, लखनऊ।

(डा0 प्रभात कुमार)
मुख्य आयुक्त
उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड

पत्रांक एम0जी0–20/65/ /2019–20 दिनांक 09.03.19

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. संयुक्त प्रादेशिक सचिव, उ0प्र0 भारत स्काउट एंव गाइड।
2. प्रादेशिक संगठन/प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड) उ0प्र0 भारत स्काउट एंव गाइड।
3. समस्त सहायक प्रादेशिक संगठन कमिश्नर (स्काउट/गाइड),उ0प्र0 भारत स्काउट एंव गाइड।

(आनन्द सिंह रावत)
प्रादेशिक सचिव
उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड

उ0 प्र0 भारत स्काउट और गाइड

डा0 प्रभात कुमार, आई०ए०एस०
मुख्य आयुक्त, उ०प्र०
कृषि उत्पादन आयुक्त एवं
अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र०

पत्रांक : C9-105A/2218/2018-19
दिनाँक : 28/02/2019

सेवा में,
कुलपति
समस्त विश्वविद्यालय
उ0प्र0 ।

विषयः– उ0प्र0 के समस्त विश्वविद्यालयों में रोवर/रेंजर कार्यक्रम को प्रभावी ढ़ग से लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप को अवगत कराना है कि राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकता और युवा वर्ग की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्काउटिंग तथा गाइडिंग भारत में ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व में एक सशक्त माध्यम माना जाता है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों में अनुशासन, सेवा–भाव, भाई चारा, संगठन एवं नेतृत्व की भावना विकसित होकर उन्हे उत्तम नागरिकता की ओर ले जाती है।

2– लार्ड वेडेन पावेल ने युवा वर्ग को रोवर/रेंजर की संज्ञा देते हुए उनकी आयु 15 से 25 वर्ष निश्चित की और 24 युवकों के दल को रोवर क्रयू और 24 युवतियों के दल को रेंजर टीम का नाम दिया। रोवर लीडर/रेंजर लीडर की आयु कम से कम 25 वर्ष होना आवश्यक है। क्रयू/टीम लीडर बनने से पूर्व इनके लिए प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है। रोवर/रेंजर दलों के माध्यम से जहॉ एक ओर युवा वर्ग के भविष्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा, वहीं उनके द्वारा तात्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु समुचित वातावरण बनाये जाने में सहायता मिल सकती है, जैसे – दहेज उन्मूलन, अस्पृश्यता निवारण, वृक्षारोपण, बेटी बचाओं–बेटी पढ़ाओं, मतदाता जागरूकता अभियान आदि। इसके अतिरिक्त शासन की विकास योजनाओं के प्रचार व प्रसार जैसे राष्ट्रीय महत्व के कार्य में रोवर/रेंजर की टीमों को लगाया जा सकता है।

3– रोवर क्रयू /रेंजर टीम के माध्यम से जहॉ एक ओर युवा वर्ग के भविष्य के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा वहीं शासन की विकास योजनाओं के प्रचार एवं प्रसार जैसे राष्ट्रीय महत्व

SOC (S/G)
कृ० तत्काल सम्पर्क कर निर्गत कराने
25/3
SC (G)

.....2

सम्बद्ध : भारत स्काउट और गाइड राष्ट्रीय प्रधान केन्द्र : महात्मा गाँधी मार्ग, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली
रजिस्ट्रेशन संख्यां एस० 452/1950-1951
प्रादेशिक प्रधान कार्यालय : स्काउट भवन, गोल मार्केट, महानगर, लखनऊ-226006
E-mail : upscoutsguides@yahoo.com, Website : www.upbsg.org, Ph. No. 522-2332928

के कार्यों में भी रोवर/रेंजर दलों को लगाया जा सकता है। वर्तमान परिस्थितियों में भी युवा वर्ग को अधिकाधिक संख्या में स्काउटिंग/गाइडिंग आन्दोलन से सम्बद्ध करने की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बलवती होती जा रही है। अतः प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों में रोवर/रेंजर दलों को गठित करने की दिशा में सक्रिय कार्यवाही अपेक्षित है।

4– (1) संयुक्त सचिव शिक्षा उ0प्र0 शासन के अर्धशासकीय पत्र संख्या 1059/15.11.88–3(14)88, उ0प्र0 शासन, शिक्षा (11) अनुभाग, लखनऊ दिनांक 08 मार्च, 1988 द्वारा विश्वविद्यालय/ महाविद्यालयों में कीड़ा शुल्क से प्राप्त धनराशि का अधिकतम 25 प्रतिशत भाग स्काउट/गाइड कार्यकम एवं रोवर/रेंजर दलों में व्यय करने की अनुमति भी प्रदान की गयी है।

(2) रोवरिंग/रेंजरिंग कार्यकम को सफल बनाने हेतु शासनादेश संख्या 2130/सत्तर–2–2003 –16 (106)/03 उच्च शिक्षा अनुभग–2, लखनऊ दिनांक 27 जून, 2003 द्वारा बी0एड0 कक्षाओं में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को रोवर्स/रेंजर्स प्रमाण पत्रों के आधार पर अधिमान्य अंक दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस प्रकार रोवरिंग/रेंजरिंग कार्यकम तथा इसके शिविरों का महत्व और अधिक बढ़ गया है। इससे छात्र छात्राएं जहाँ सर्वांगिण व्यक्तित्व विकास में इसकी उपयोगिता को अनुभव करेंगे वहीं बी0एड0 कक्षा में प्रवेश पाने के लिए भी विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में रोवर/रेंजर प्रशिक्षण सहायक सिद्ध होंगें।

5– उपरोक्त के परिपेक्ष्य में शासन के निर्देशों के अनुरूप रोवरिंग/रेंजरिंग कार्यकम को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में प्रभावी रूप से लागू करने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक है :–

(1) समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालयो में (जहाँ अभी तक रोवर क्रयू/रेंजर टीम का गठन नहीं हो पाया है) न्यूनतम एक रोवर क्रयू /रेंजर टीम का अनिवार्य रूप से गठन कर उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड से पंजीकृत कराया जाय। सुविधा हेतु पंजीकरण फार्म की छायाप्रति संलग्न है जिसकी आवश्यकतानुसार छायाप्रतियाँ भी करायी जा सकती हैं। साथ साथ जहाँ ये दल पूर्व से गठित हैं वहाँ उनकी सँख्या में वृद्धि की जाय।

.....3

(2) प्रत्येक रोवर क्रयू के लिए एक पुरूष प्राध्यापक एवं रेंजर टीम के लिए एक महिला प्राध्यापिका को नामित किया जाये जो कमशः रोवर लीडर एवं रेंजर लीडर से सम्बोधित होंगे। नामित रोवर लीडर/रेंजर लीडर को प्रगतिशील प्रशिक्षण के अंतर्गत उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड द्वारा प्रारम्भ में बेसिक कोर्स का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

अतः मेरा अनुरोध है कि कृपया अपने विश्वविद्यालय और सम्बद्ध महाविद्यालयों में रोवरिंग/रेंजरिंग के प्रति छात्र/छात्राओं को प्रेरित करनें और अधिकाधिक दलो की स्थापना करानें की व्यवस्था करनें की कृपा करें। इस हेतु समय–समय पर आवश्यकतानुसार उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड संस्था से जिस सहयोग की आवश्यकता होगी वह सुलभ होता रहेगा।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(डा0 प्रभात कुमार)
मुख्य आयुक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– प्रमुख सचिव (उच्च शिक्षा), उ0प्र0 शासन।
2– निदेशक, (उच्च शिक्षा), उ0प्र0, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
3– प्रादेशिक सचिव, उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड ।
4– प्रादेशिक संगठन/प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड) उ0प्र0 भारत स्काउट एवं गाइड को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्तानुसार कुलपति से सम्पर्क कर समस्त विश्वविद्यालयों एवं उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों में रोवर/रेंजर दलों को गठित कर उनके पंजीकरण का कार्य अभियान के रूप में चलाने हेतु शीघ्रातिशीघ्र कार्य को अन्तिम रूप प्रदान करें।

(डा0 प्रभात कुमार)
मुख्य आयुक्त।

उत्तर प्रदेश भारत स्काउट और गाइड

प्रादेशिक प्रधान केन्द्र, गोल मार्केट, महानगर, लखनऊ

कब/बुलबुल (पैक/फ्लाक), स्काउट/गाइड (दल/कम्पनी), रोवर/रेंजर (क्रयू/टीम)
के पंजीकरण के लिए प्रार्थना-पत्र

प्रादेशिक प्रधान कार्यालय द्वारा भरा जाय
पंजीकृत संख्या .....
यूनिट/ग्रुप का नाम
.....
तिथि .....

जिला ..... मण्डल.....

तिथि जब दल पहली बार प्रारम्भ किया गया .....

यूनिट/ग्रुप का पूरा नाम .....

यूनिट/ग्रुप का पता .....

यूनिट/ग्रुप स्वतंत्र है अथवा किसी स्कूल या संस्था से नियंत्रित है .....

यूनिट/ ग्रुप के संचालक का नाम .....योग्यता .....मो0.....

संख्या

कब		स्काउट		रोवर		स्काउटर		योग		
बुलबुल		गाइड		रेन्जर		गाइडर				

ह0 संस्था के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या अथवा ग्रुप कमेटी के प्रधान

ह0 यूनिट/ग्रुप का अधिकारी

हस्ताक्षर
जिला सचिव/जिला कमिश्नर (स्काउट/गाइड), संबधित जनपद

चेक किया एवं सही पाया

स्वीकार किया

सहा0 प्रा0 संगठन कमिश्नर (स्काउट/गाइड)
सम्बंधित मण्डल

प्रादे0 संग0 कमि0 (स्काउट/गाइड)

प्रादेशिक सचिव

निर्देश

1. यह आवेदन–पत्र दो प्रतियों में भरा जायेगा और जिला संस्था के संबंधित अधिकारियों के हस्ताक्षर के उपरान्त पंजीकरण हे प्रादेशिक मुख्यालय भेजना होगा।

2. प्रत्येक विश्वविद्यालय / महाविद्यालय को निम्नानुसार शुल्क जिला संस्था के पास जमा करना होगा–:

(3) रोवर/रेंजर (24 सदस्यीय) (क) पजीकरण शुल्क

कम सं0	(क) पंजीकरण शुल्क	कुल योग (रूपयों में)	प्रदेश अंश (रूपयो में)	जिला अंश (रूपयो में)
1	यूनिट पंजीकरण शुल्क	50.00	25.00	25.00
2	रोवर/रेंजर पंजीकरण शुल्क (कोटामनी रू0 25/– प्रति सदस्य की दर से)	600.00	504.00 रू0 21/–प्रति की दर से	96.00 (रू0 4/–प्रति की दर से)
3	यूनिट लीडर पंजीकरण शुल्क	130.00	100.00	30.00
	योग	**780.00**	**629.00**	**151.00**

(ख)नवीनीकरण शुल्क (प्रत्येक वर्ष)

कम सं0	(ख)नवीनीकरण शुल्क (प्रत्येक वर्ष)	कुल योग (रूपयों में)	प्रदेश अंश (रूपयो में)	जिला अंश (रूपयो में)
1	यूनिट नवीनीकरण शुल्क	**NIL**	**NIL**	**NIL**
2	रोवर/रेंजर नवीनीकरण शुल्क (कोटामनी रू0 25/– प्रति सदस्य की दर से)	600.00	504.00 रू0 21/–प्रति की दर से	96.00 (रू0 4/–प्रति की दर से

यूनिट पंजीकृत होने के लाभ

1. बिना यूनिट पंजीकृत कराये कब/बुलबुल,स्का0/गा0,रोवर/रेजर को कोई वैधानिकता प्राप्त नही हो पायेगी।
2. योजना के कियान्वयन के लिए यूनिट का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
3. यूनिट लीडर का कमबद्ध प्रशिक्षण के लिए यूनिट का पंजीकरण अनिवार्य है।
4. बच्चों के कमबद्ध प्रशिक्षण के लिए यूनिट पंजीकृत होना अनिवार्य है।
5. यूनिट पंजीकरण होने से विधालय/जनपद/प्रदेश/राष्ट्रीय स्तर/ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक अन्तः सम्बन्ध स्पष्ट होता है।
6. कार्य को व्यवहारिक ढंग से सम्पादित होने के लिए यूनिट का पंजीकरण होना अनिवार्य है। यूनिट पजीकृत होने के पश्चात् स्काउट/गाइड रोवर रेजर को निम्नवत अवसर प्रदान हो सकेगे।

रोवर/रेंजर्स के अन्य कार्यकम

- उपराष्ट्रपति पुरस्कार
- साहसिक अभियान
- उद्देश्यपूर्ण यात्रा (प्राकृतिक)
- आपदा प्रबन्धन
- खोज एवं बचाव
- यातायात नियंत्रण
- प्राथमिक सहायता
- हस्त कौशल
- सांस्कृतिक चेतना अभिवृद्धि
- राष्ट्रीय भावात्मक एकता से जुड़े कार्यकम
- सेवा शिविरों का आयोजन

संगठनात्मक स्वरूप

रोवर/रेंजर की एक यूनिट में न्यूनतम 6 अधिकतम 24 सदस्य (पृथक – पृथक) होतें है, जो एक यूनिट लीडर जिन्हे रोवर स्काउट लीडर/रेजर लीडर कहते हैं, के नेतृत्व में कार्य करते हैं।

प्रत्येक यूनिट मे यूनिट लीडर के सहयोग हेतु चार सहाययक यूनिट लीडर (पृथक – पृथक) हो सकते हैं।

रोवर/रेंजर विंग में यूनिट लीडर की आयु न्यूनतम 25 वर्ष,सहायक यूनिट लीडर की आयु 21 वर्ष , शैक्षिक योग्यता स्नातक की होती हैं।

यूनिट लीडर का प्रगतिशील प्रशिक्षण

बेसिक कोर्स

↓

छः माह बाद (तीन माह की वारण्टेड सेवा पंजीकृत दल में)

↓

एडवांस कोर्स

↓

एक वर्ष बाद (स्टडी एसान्मेंट पूर्ण होने पर)

↓

हिमालय वुड बैज

↓

छः माह बाद (पार्चमेन्ट मिलने के पश्चात्)

↓

प्री0 ए0एल0टी0

↓

एक वर्ष बाद
सहायक लीडर ट्रेनर (आनरेबुल चार्ज मिलने के पश्चात् एंव
एच0डब्लू कोर्स मे सहयोग के पश्चात्)

↓

दो वर्ष बाद
लीडर ट्रेनर

प्रत्येक चार वर्ष के भीतर रि–ओरिएन्टेशन करना एवं न्यूनतम दो वयस्क शिविर का संचालन करना अनिवार्य है।

रोवर /रेंजर कार्यक्रम

उम्र – न्यूनतम 15 वर्ष, अधिकतम 25 वर्ष

विकास हेतु कार्यक्रम

15 वर्ष की उम्र से– रोवर/रेंजर आकांक्षी
से
25 वर्ष की उम्र तीन माह के प्रशिक्षण के पश्चात् के पश्चात्

↓

दीक्षा संस्कार

↓

छः माह बाद

↓

निपुण प्रशिक्षण

↓

नौ माह बाद

↓

राज्य पुरस्कार (रोवर/रेंजर)

↓

एक वर्ष बाद

↓

राष्ट्रपति (रोवर/रेंजर)

25 वर्ष से 35 वर्ष तक – रोवर/रेंजर (सेवा में)

– समाज सेवा के क्षेत्र में संस्था के नैत्यिक कार्यो में इस प्रकार सहयोग करना जिससे इनका स्वयं के व्यक्तित्व का स्थायीकरण हो तथा आर्थिक रूप से सबल हो।